कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

क्रमांक/ 91 /कले./सू.का.अ./2021 बलरामपुर दिनांक 06../01/2021

प्रति,

जिला जनसूचना अधिकारी
(NIC)
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

विषय :- **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4-1 के तहत् सभी लोक प्राधिकरणों की 16 श्रेणियों को कार्यालयीन वेबसाईट पर प्रकटीकरण किये जाने के संबंध में।**

सन्दर्भः- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर पत्र क्रमांक 41/निस/स/साप्रवि/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04.01.2021

****

विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4-1 के तहत् सभी लोक प्राधिकरणों की 16 श्रेणियों को विशेष रूप से कार्यालयीन वेबसाईट पर प्रकटीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4-1 के तहत् सभी लोक प्राधिकरणों की 16 श्रेणियों को <u>आज ही कार्यालयीन वेबसाईट पर अपलोड कर</u> इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज(छ0ग0)

अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार सभी लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है, कि वे सूचना की निम्नलिखित 16 श्रेणियों को विशेष रूप से प्रकाशित करें:-

1. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य,
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,
3. अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित है,
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान,
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश और अभिलेख,
6. ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में है,
7. ऐसी व्यवस्था का विवरण, जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,
8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी, सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका,
10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया मासिक पारिश्रमिक,
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,
12. आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा,
13. अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं का विवरण,
14. आपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा,
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधरण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो,
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।